कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन बजट आकलनों, 2011 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुन: संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के निर्धारणार्थ प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की प्रबल प्रवृतियों व संरचनात्मक रूप रेखा का विश्लेषण करता है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण (राज्य सरकार द्वारा किए गए) एवं जनगणना जैसे विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध है।

अध्याय-I वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2019 को हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह प्राप्तियों एवं संवितरणों, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण धारणीयता तथा राजकोषीय असंतुलनों का लेखा उपलब्ध करवाता है।

अध्याय- II विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोजनों का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों की कार्य प्रणाली में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता है।

अध्याय- III विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के साथ राज्य सरकार की अनुपालना का विवरण प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय-I: राज्य सरकार के वित्त

राज्य ने 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को अभी तक संशोधित नहीं किया है ।

(परिच्छेद 1.1.2)

2018-19 के दौरान, राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹ 30,950 करोड़) में विगत वर्ष (₹ 27,367 करोड़) से 13 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। मात्र 33 *प्रतिशत* राजस्व प्राप्तियां राज्य के स्वयं के संसाधनों

करों तथा कर-भिन्न से प्राप्त हुई, जबकि शेष 67 *प्रतिशत* केन्द्रीय अंतरणों अर्थात् केन्द्रीय करों व शुल्कों के राज्यांश (18 *प्रतिशत*) व भारत सरकार से सहायता अनुदान (49 *प्रतिशत*) से प्राप्त हुई।

(परिच्छेद 1.3)

2018-19 के दौरान, राज्य के कुल व्यय (₹ 34,493 करोड़) में विगत वर्ष से ₹ 3,181 करोड़ (10 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय, कुल व्यय का 85.3 *प्रतिशत* रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान चार घटकों अर्थात् वेतन व मजदूरी, पेंशन देयताएं, ब्याज भुगतान तथा उपदानों पर कुल व्यय, राजस्व व्यय का 73 *प्रतिशत* रहा।

(परिच्छेद 1.6.1 तथा 1.6.2)

2018-19 के दौरान, पूंजीगत व्यय (₹ 4,583 करोड़) विगत वर्ष (₹ 3,756 करोड़) से ₹ 827 करोड़ (22 *प्रतिशत*) बढ़ गया। कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अंश 2017-18 के 12 *प्रतिशत* से 2018-19 में 13.29 *प्रतिशत* तक बढ़ गया।

(परिच्छेद 1.6.1.2)

वर्ष की समाप्ति पर सकल राजकोषीय देयताएं विगत वर्ष से 6.41 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ ₹ 54,299 करोड़ रहीं । राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 36 *प्रतिशत* तथा राजस्व प्राप्तियों की 1.75 गुणा थी।

(परिच्छेद 1.9.2)

कुल लोक ऋण 2014-15 के ₹ 25,729 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 36,425 करोड़ हो गया जिसकी वार्षिक औसत वृद्धि दर 9.60 *प्रतिशत* दर्ज की गई। कुल लोक ऋण में बाजार से उधारों का अंश 2014-15 के 59 *प्रतिशत* से बढ़कर 2018-19 में 65 *प्रतिशत* हो गया। विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष (2018-19) के दौरान कुल लोक ऋण पांच *प्रतिशत* बढ़ गया।

(परिच्छेद 1.10)

आगामी 10 वर्षों में, बाजार ऋणों एवं उदय बॉड के कुल बकाया ₹ 26,573 करोड़ में से राज्य को बाजार ऋणों व उदय बॉड के मूलधन के ₹ 25,005 करोड़ (94.10 *प्रतिशत*) एवं ₹ 12,521 करोड़ राशि के ब्याज की अदायगी करनी है।

(परिच्छेद 1.10)

राजस्व अधिशेष, राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय के मध्य के अन्तर को प्रस्तुत करता है। राजस्व अधिशेष 2017-18 के ₹ 314 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 1,508 करोड़ हो गया।

(परिच्छेद 1.11.1)

2018-19 के दौरान, राजकोषीय घाटा (₹ 3,512 करोड़) गतवर्ष से (₹ 3,870 करोड़) ₹ 358 करोड़ घट गया। 2017-18 में ₹ 82 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2018-19 में ₹ 510 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया।

(परिच्छेद 1.11.1)

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 46,984.68 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोजनों के प्रति ₹ 42,469.10 करोड़ (90.38 *प्रतिशत*) का व्यय हुआ। ₹ 4,515.58 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों में हुई ₹ 5,336.95 करोड़ की बचतों में से ₹ 821.37 करोड़ के व्यय आधिक्य को घटाने के परिणामस्वरूप हुई, जिसे 2013-14 से 2017-18 की अवधि के ₹ 8,333.35 करोड़ के व्यय आधिक्य में जोड़ते हुए, भारत के संविधान की धारा 205 के तहत् राज्य विधानसभा से नियमितिकरण करवाने की आवश्यकता है।

(परिच्छेद 2.2, 2.2.1 तथा 2.3.1)

12 उप-शीर्षों में ₹ 1,916.49 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक, अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि व्यय या तो मूल प्रावधान तक नहीं पहुंचा अथवा कुल व्यय आधिक्य को अपूरित छोड़ते हुए कुल प्रावधान से अधिक हुआ। अत्यधिक अभ्यर्पण या अपर्याप्त आवर्धन की दृष्टि से पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण किये गये तथा 18 उप-शीर्षों में ₹617.17 करोड़ से ज्यादा व्ययाधिक्य एवं 12 उप-शीर्षों के अंतर्गत (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) ₹196.22 करोड़ से ज्यादा की बचतों में परिणत हुए। 155 उप-शीर्षों में, वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर कुल प्रावधान (₹2,951.82 करोड़) में से (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) ₹ 2,328.25 करोड़ (78.87 *प्रतिशत*) की राशि का अभ्यर्पण हुआ। लेखा/योजनाओं के 60 शीर्षों में 100 *प्रतिशत* अनुदानों का (₹ 801.05 करोड़ राशि) अभ्यर्पण किया गया।

(परिच्छेद 2.3.1.1, 2.3.2 तथा 2.3.4.2)

अध्याय III

वित्तीय रिपोर्टिंग

मार्च 2019 तक ₹ 5,128.42 करोड़ के कुल अनुदानों से सम्बन्धित देय 5,758 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों में से कुल ₹ 1,898.80 करोड़ (37 *प्रतिशत*) के 2,407 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र (42 *प्रतिशत*) लम्बित थे। प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का भारी मात्रा में लम्बित रहना निधियों के दुर्विनियोजन तथा जालसाजी के जोखिम को बढ़ाता है। राज्य सरकार अनुदानग्राही संस्थानों को जारी अनुदानों के सम्बंध में प्रयुक्ति

प्रमाणपत्रों की समयबद्ध प्रस्तुति सुनिश्चित करें तथा समीक्षा करें कि क्या प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को भारी मात्रा में लम्बित रखने वाले अनुदानग्राहियों को अनुदान देना जारी रखना चाहिए।

(परिच्छेद 3.1)

14 स्वायत्त निकायों में से केवल तीन ने अपने 2018-19 के लेखे प्रस्तुत किए थे। शेष 11 संस्थाओं ने एक वर्ष के विलम्ब के बावजूद सितंबर, 2019 तक अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे।

(परिच्छेद 3.2)

मार्च 2019 तक राज्य सरकार ने ₹ 93.79 लाख राशि के सरकारी धन से अन्तर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि, चोरी इत्यादि के 44 मामले सूचित किये, जिन पर अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। इन 44 मामलों में से 41 मामले पांच साल से अधिक पुराने थे।

(परिच्छेद 3.4)

अग्रिमों की पहचान/विभेद एवं उनकी अनुवर्ती निगरानी के अभाव में सार आकस्मिकता बिलों के माध्यम से अग्रिमों का आहरण तथा राज्य की समेकित निधि के बाहर बैंक खातों में निधियों के अवरोधन के फलत: प्रभाव से व्यय की अत्योक्ति तथा निधियों के दुर्विनियोजन/जालसाजी के होने के जोखिम को बढ़ाता है।

(परिच्छेद 3.5)